न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी 2498-PBR-15

निगरानी याचिका क्रं :- पीबीआर/2005 जिला हरदा

प्रस्तुत दिनांक :- /7/15

निगरानीकर्तागण :- 1. मुकेश आ. शिवनारायण गूर्जर

2. नाबालिग जयनारायण जाति गूर्जर

बली पिता जयनारायण गूर्जर दोनो निवासी

ग्राम पानतलाई तहसील रहटगाँव जिला हरदा

3. अनीतापत्नि दिनेश कुमार अग्रवाल

निवासी- बंसल वस्त्रालय, माधवगंज विदिशा

जिला विदिशा

श्री नितिन स्थापक अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 30-7-15 भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत

बनाम

उत्तरदाता :- रामनारायण आ. भगवान गूर्जर कृषक ग्रामपानतलाई

निवासी नेहरू स्टेडियम के पास, गली नंबर-5 हरदा

तहसील व जिला हरदा

30-7-15

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा-50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रहटगाँव के राजस्व प्रकरण क्रं. अ/70 वर्ष 14-15 ग्राम पानतलाई रामनारायण बनाम मुकेश तथा अन्य मे पारित आदेश दिनांक- 15-6-15 के विरूद्ध समयावधि मे निगरानी कर्तागण यह निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते है :-

मुकेश / रामनारायण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 2498—अध्यक्ष / 15 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4—8—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 15—6—2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि सीमाकंन प्रकरण के विरूद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य की जाकर यथास्थिति के आदेश दिये गये है । अतः संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि प्रकरण प्रारंभिक स्तर पर है और वाद बिन्दु निर्धारित होने पर साक्ष्य प्रस्तुत की जायेगी । राजस्व मण्डल द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण नहीं बुलाया गया है और न ही सीमाकंन प्रकरण को निरस्त किया गया है, अतः संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित आवेदन पत्र निरस्त योग्य नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया विधिसंगत होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	